

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक:सा0-4176 / मी0क्षे0/33/दिनांक,मीरजापुर,

02-3-2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन एवं ओबरा वन प्रभाग के 2.434 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं भदोही वन प्रभाग की शून्य वन भूमि तथा जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हे0 वन भूमि, बाधक 28 वृक्ष तथा वाराणसी वन प्रभाग के 0.265 हे0 बाधक 03 वृक्ष एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के 39.536 हे0 वन भूमि एवं 585 वृक्ष 26 बॉस कोठी के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

- 1-प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही का पत्रांक 1517/ज्ञानपुर/26-1, दिनांक 18.12.2019
- 2-प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा का पत्रांक 1990/ओबरा/15,भू0ह0, दिनांक 25.01.2020
- 3-मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर का पत्रांक 1663/26-11-सामान्य दिनांक 23.01.2020
- 4-वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी का पत्रांक 2348/29-1 दिनांक 17.02.2020
- 5-प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा का पत्रांक 2342/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 29.02.2020
- 6-प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर का पत्रांक 3250/मी0/दिनांक 19.02.2020 एवं पत्रांक 3417/मी0/15 दिनांक 29.02.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0 प्रस्तावित 400के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में पड़ने वाले निम्नलिखित वन प्रभागों के वन भूमि एवं वृक्ष जो प्रभावित हो रहे हैं। विवरण निम्न प्रकार है:-

मण्डल/वृत्त	प्रभाग	प्रभावित वन भूमि		प्रभावित वृक्ष		पातन हेतु वृक्ष	
		आरक्षित	संरक्षित	वृक्ष	बॉस	वृक्ष	बॉस
मीरजापुर	मीरजापुर	46.778	0.101	364	494	238	290
मीरजापुर	ओबरा	2.434	—	—	—	—	—

मीरजापुर	भदोही	—	—	—	—	—	—
वाराणसी	वाराणसी	—	0.265	3	—	3	—
वाराणसी	जौनपुर	—	0.518	28	—	16	—
वन्यजीव पक्षी कानपुर	कैमूर वन्य जीव प्रभाग	39.536	—	585	17	310	9
	योग	88.748	0.884	980	511	567	299

उपरोक्त प्रभावित कुल 89.632 हे० वन भूमि एवं पातन हेतु सम्भावित 567 वृक्ष एवं 299 बॉस की कोठी की अनुमति प्रस्ताव जिसकी ऑन लाइन संख्या एफ. पी./यू०पी०/ट्रान्समिसन/40906/2019 है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत संबंधित वृत्त/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा ऑन लाइन सबमिसन कर मय संस्तुति सहित प्रस्ताव 04 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रश्नगत मामले की मीरजापुर क्षेत्र अन्तर्गत मीरजापुर एवं ओबरा वन प्रभाग की प्रेषित प्रस्ताव को परीक्षणोपरान्त भाग-3 पूर्ण कर ऑन लाइन सबमिसन कर प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ एतदसंह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या 4176 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
- 2- वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी भदोही वन प्रभाग भदोही।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

निरीक्षण टिप्पणी

प्रस्ताव संख्या एफ.पी./यू.पी./ट्रान्समिसन/40906/2019 पर ओबरा-सी बदायूँ ट्रान्समिसन लि० प्रस्तावित 400 के०वी० डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 0.101 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 46.879 हे० वन भूमि के गैर वाणिज्यी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस की कोठी में से पातन हेतु सम्भावित 238 वृक्ष एवं 290 बॉस कोठी के अनुमति के सम्बन्ध में निरीक्षण टिप्पणी—

दिनांक 01.03.2020 को उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार मीरजापुर वन प्रभाग एवं श्री शारिक इमॉम प्रबन्धक ओबरा-सी बदायूँ ट्रान्समिसन लि० बरेली के साथ निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान प्रस्ताव में संलग्नक प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित प्रश्नगत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 46.879 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है तथा प्रस्तावित पारेषण लाइन के निर्माण में विभिन्न प्रजाति के प्रभावित 364 वृक्ष एवं 494 बॉस कोठी जिसमें से 238 वृक्ष एवं 290 बॉस कोठी के पातन सम्भावित है जो न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प प्रतीत नहीं होता है।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

भाग - 3

(वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

14	स्थल जहाँ वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ - (दिनांक 01-03-2020) निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16	प्रस्ताव के स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	यह प्रस्ताव भाग में स्वीकृति के लिए है। स्वीकृति कि यह क्षेत्र में संरक्षित की जाना है।

तिथि : 02-03-2020

स्थान : भीरजापुर

हस्ताक्षर

मुख्य वन संरक्षक
भीरजापुर क्षेत्र
भीरजापुर

PART-III

(To be filled by the concerned Conservator of Forests)

14.	Whether the site, where the forest land involved is located, has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/No). If yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.	नहीं।
15.	Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.	हाँ।
16.	Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.	उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिशों को स्वीकृति देते हैं।

Date: - 02-03-2020

Place: - कोरना

Signature :

Name & Designation :

Official Seal :

6
[Signature]
[Official Seal]
[Official Seal]